Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०
Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांकः इ०रा०वि०वि०/कु०स०का०/ 518 /2018 दिनांक 26 जुलाई, 2018

सेवा में,
प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

विषय : विभागीय वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शिक्षा निदेशक (उ०शि०), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या–डिग्री विकास/15023/2018–19 दिनांक 20.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1026/14–5–2018/187/2018 दिनांक 12.07.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 में वृक्षारोपण हेतु उच्च शिक्षा विभाग को कुल 7653 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किए जाने का निर्देश प्रदान किया गया है। विभागीय वृक्षारोपण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा दिनांक 15.08.2018 को सम्पन्न कराया जाना है जिस हेतु प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा अपने महाविद्यालय की कार्ययोजना तैयार कर दिनांक 28.07.2018 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना है।

अतएव उपर्युक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि वृक्षारोपण किए जाने सम्बन्धी कार्ययोजना दिनांक 28.07.2018 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि सूचना शासन को प्रेषित की जा सके। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा कम से कम 25 पौधों का वृक्षारोपण निर्धारित करते हुए शासन द्वारा निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार कार्य योजना संलग्न प्रारूप पर सूचना तैयार कर विश्वविद्यालय की ई–मेल–registrarasua@gmail.com पर साफ्टकापी दिनांक 28.07.2018 तक तथा दिनांक 29.07.2018 तक हार्डकापी विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जाना है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य हेतु टाइम लाइन, वन विभाग की पौधशालाओं से पौध बिक्री हेतु पौधों का मूल्य निर्धारण एवं पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों का विवरण भी संलगन कर प्रेषित है।

संलग्नक– यथोक्त।

डॉ0 (विनीता यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (उ०शि०), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

डॉ0 (विनीता यादव)
कुलसचिव

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

सेवा में,

कुलसचिव,
इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद ।

पत्रांक : डिग्री विकास/ 15023 /2018–19 दिनांक : 20-07- 2018

विषय : विभागीय वृक्षारोपण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1026/14–5–2018/187/2018 दिनांक 12.07.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 में वृक्षारोपण हेतु उच्च शिक्षा विभाग को कुल 7653 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसमें 6122 वृक्षारोपण का लक्ष्य दिनांक 15 अगस्त 2018 को किया जाना है। दिनांक 16.07.2018 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत वृक्षारोपण किये जाने का निर्देश दिया गया है ।

उक्त के अनुपालन में समस्त प्राचार्य/प्राचार्या राजकीय महाविद्यालय,सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, जनपद–इलाहाबाद को निदेशालय के पत्र संख्या–डिग्री विकास/15006/2018–19 दिनांक 16.07.2018 एवं पत्रांक डिग्री विकास/15019/2018–19 दिनांक 19.07.2018 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक महाविद्यालय अपने महाविद्यालय की कार्ययोजना तैयार कर शासन के निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 19.07.2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । किन्तु किसी भी महाविद्यालय द्वारा कार्ययोजना तैयार कर प्रेषित नहीं की गयी । आज दिनांक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कान्फ्रेन्सिंग में निर्देशित किया गया कि समस्त विभाग अपने आवंटित लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करें । उक्त निर्देश के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन के इस महत्वाकांक्षी एवं समयबद्ध कार्यक्रम को सकुशल एवं निर्धारित अवधि के अन्दर सम्पन्न कराने हेतु अपने स्तर से नोडल अधिकारी नामित करते हुए समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों कम से कम प्रति महाविद्यालय 25 पौधों का वृक्षारोपण निर्धारित करते हुए शासन द्वारा निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार कार्ययोजना संलग्न प्रारूप पर सूचना तैयार कर निदेशालय के ई–मेल ई–मेल info@dheup.com पर हार्ड एवं साफ्ट कापी दिनांक 22 जुलाई 2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें । सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य हेतु टाइम लाइन, वन विभाग की पौधशालाओं से पौध विक्री हेतु पौधों का मूल्य निर्धारण एवं पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों का विवरण भी संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

प्राप्त किया
Mamta
26/07/18 (05:00 PM)

भवदीय,

डॉ0 (दिलीप कपूर)
संयुक्त निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन डिग्री विकास/ /2018–19 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, इलाहाबाद ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकीय प्रभाग, इलाहाबाद ।

डॉ0 (दिलीप कपूर)
संयुक्त निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

D:\Arun Kumar Sharma 17/Srivastavji file

15 अगस्त, 2018 को प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य हेतु टाइम लाईन

1— जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा तैयारी हेतु तत्काल कराये जाने वाले कार्य

2— वृक्षारोपण हेतु विभागवार भूमि की उपलब्धता

3— वृक्षारोपण हेतु संसाधनों का अभिसरण

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद

15 अगस्त, 2018 को प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य हेतु टाइमलाईन

क्र0 सं0	विवरण	दिनांक
	जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा तैयारी हेतु तत्काल कराये जाने वाले कार्य	
(i)	जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक का आयोजन	15–07–2018 तक
(ii)	जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना	15–07–2018 तक
(iii)	चुनाव पैटर्न पर जनपद को जोन एवं सेक्टर में विभाजित करना– विकास खण्ड सेक्टर एवं तहसील जोन में जोनल एवं सेक्टर अधिकारियों की तैनाती (खण्ड विकास अधिकारी अपने ब्लाक हेतु सेक्टर अधिकारी एवं तहसीलदार अपने तहसील हेतु नोडल अधिकारी होंगे)	20–07–2018 तक
(iv)	वृक्षारोपण एक्शन प्लान का निरूपण	
(a)	सम्बन्धित विभाग द्वारा वृक्षारोपण स्थल का चिन्हीकरण	15–07–2018 तक
(b)	गड्ढा खुदान का कार्य (Manual, Augur and JCB machines)	15–07–2018 से 07–08–2018 तक
(c)	वृक्षारोपण स्थल हेतु पौध की व्यवस्था–नर्सरी चिन्हांकन	27–07–2018 तक
(d)	पौध ढुलान हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना	30–7–2018 तक
(e)	जनपद की स्वयं सेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर वृक्षारोपण में अधिकतम जन सहभागिता।	01–08–2018 तक
(f)	प्रत्येक जनपद हेतु गणमान्य व्यक्ति यथा मा0 मंत्री/सांसद/विधायक/जन प्रतिनिधि अथवा अन्य गणमान्य व्यक्ति से सम्पर्क कर उनसे वृक्षारोपण कराने की व्यवस्था	05–08–2018 तक
(g)	प्रत्येक रोपण स्थल पर Smart Phone से फोटोग्राफी की व्यवस्था करना. with latitude and longitude	10–08–2018 तक
(h)	रोपण हेतु पौधों का रोपण स्थल तक ढुलान (वृक्षारोपण स्थल की दूरी के अनुसार)	05–08–2018 से 13–08–2018 तक
(i)	वृक्षारोपण साइट से जनपद कन्ट्रोल रूम को रोपित पौधों	15–08–2018

	की प्रगति की सूचना प्रेषित करना एवं जनपद के कन्ट्रोल रूम से लखनऊ कन्ट्रोल रूम को रोपण की सूचना प्रेषण प्रति घण्टा	सायं 8.00 बजे तक
(j)	वृक्षारोपण से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स एवं अन्य अभिलेख प्रेषित करना (Best performance with innovative ideas को इंगित करना)	17–08–2018 तक
(k)	सेक्टर एवं जोनल अधिकारी द्वारा वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण एवं जीवितता का सत्यापन	15–09–2018 से 30–09–2018 तक

वृक्षारोपण हेतु विभागवार भूमि की उपलब्धता

क्र0 सं0	विभाग का नाम	विवरण
1	वन एवं वन्य जीव	36646हे0 वन भूमि/ग्राम समाज/सड़क में 4722 स्थलों का चयन कर अग्रिम मृदा कार्य किया गया है।
2	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज	प्रत्येक ग्राम पंचायत के रिक्त भूमि/ कृषकों की भूमि पर वृक्षारोपण
3	आवास विकास	आवास विभाग/विकास प्राधिकरणों के आवासीय कालोनियों के रिक्त भूखण्डों/ हरित पट्टिकाओं पर वृक्षारोपण
4	औद्योगिक विकास	औद्योगिक विकास विभाग के रिक्त भूखण्डों तथा आवासीय कालोनियों के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
5	नगर विकास	नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के रिक्त भूमि तथा आवासीय कालोनियों के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
6	लोक निर्माण	लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों एवं आवासीय कालोनियों में तथा लोक निर्माण विभाग के रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण
7	सिंचाई	सिंचाई विभाग के विश्राम भवनों में तथा सिंचाई विभाग के नहर के दोनों तरफ तथा नदी किनारे/तटों के रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण
8	रेशम विकास	रेशम विभाग के स्वामित्व के रिक्त भूमि तथा आवासीय कालोनियों के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
9	कृषि	कृषि विभाग के स्वामित्व एवं कृषकों के रिक्त भूमि, मण्डी परिषद तथा कृषि प्रशिक्षण संस्थानों के रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण
10	पशुपालन	पशुपालन विभाग के स्वामित्व एवं प्रशिक्षण संस्थानों के रिक्त भूमि पर तथा पशुओं के चारा हेतु वृक्षारोपण
11	सहकारिता	सहकारिता विभाग के स्वामित्व एवं प्रशिक्षण संस्थानों के रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण
12	उद्योग	उद्योग विभाग के प्रमुख उद्योगों/ पी0एस0यू0/ हरित पट्टिका एवं आवासीय कालोनियों के रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण
13	विद्युत	विद्युत विभाग के विभिन्न विद्युत स्टेशन/ सब स्टेशन तथा आवासीय कालोनियों के रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण

14	शिक्षा	
14.1	माध्यमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के परिसरों एवं अन्य रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
14.2	बेसिक शिक्षा	बेसिक शिक्षा संस्थानों के परिसरों एवं अन्य रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
14.3	प्राविधिक शिक्षा	प्राविधिक शिक्षा संस्थानों के परिसरों एवं अन्य रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
14.4	उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों एवं राजकीय/प्राइवेट विश्वविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
15	श्रम	श्रम विभाग के कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
16	स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा	पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/जिला अस्पताल के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
17	परिवहन	परिवहन डिपों/कारखानों के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
18	रेलवे	रेलवे लाईन के दोनों तरफ/रेलवे कालोनियों के परिसर के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
19	रक्षा	सैनिक पड़ाव/कण्टोन्मेंट के रिक्त रक्षा भूमि पर वृक्षारोपण
20	उद्यान	उद्यान विभाग के स्वामित्व के रिक्त भूमि एवं कृषकों की भूमि तथा आवासीय कालोनियों के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण
21	पुलिस	पुलिस थानों/जिला कारागार/ जिला पुलिस लाईन/ पी0एस0सी0 तथा आवासी कालोनियों के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण

सभी विभाग अपने विभाग के इम्प्लाईज एसोसिएशन तथा सर्विस प्रोवाइडर का कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करेंगे।

वृक्षारोपण हेतु संसाधनों का अभिसरण

- मनरेगा से सामुदायिक, कृषि व फलोद्यान वृक्षारोपण हेतु निम्न 03 योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी हैं, जो वृक्षारोपण के वित्त पोषण हेतु उपलब्ध है–

    1. मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना
    2. मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना
    3. मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना

संख्या–78 / 14–5–2016–67 / 87–टी0सी0

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

02 MA. 2016

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2016

विषयः– वन विभाग की पौधशालाओं से बिकी किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–जी–914 / 4–20 (विक्रय मूल्य) दिनांक 06–1–2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–293 / 14–5–2014–67 / 87–टीसी, दिनांक 16–6–2014 द्वारा पूर्व में उपर्युक्त के संदर्भ में विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात पत्र दिनांक 06–1–2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से वन विभाग की पौधशालाओं से विक्रय किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

क्र0सं0	पौधों की श्रेणी	प्रस्तावित विक्रय दर (मजदूरी रू0 161 / – प्रतिदिन)
1	2	3
1	एक वर्षीय पौध	
	(अ)–थैली	7.00
	(ब)–पिण्डी	15.00
2	दो वर्षीय पौध	
	(अ)–थैली	9.00
	(ब)–पिण्डी	23.00
3	शोभाकार पौध (गुलमोहर, जेकरैण्डा) अमलतास, सिल्वर ओक, पेल्टोफोरम, बोगेनविलिया आदि)	23.00
4	अतिविशिष्ट पौध (अशोका पेण्डुला, सीता अशोक, मौलश्री आदि)	45.00
5	क्लोनल विधि द्वारा उगाए गए	
	(अ)–शीशम	09.00
	(ब)–यूकेलिप्टस, पॉपलर	24.00
6	हाईटेक पौधशाला में उगायी जाने वाली पौध	10.00
7	8 से 12 फीट ऊँची पौध	80.00

नोट–
1–एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पिण्डी पौध हेतु प्रस्तावित दरों में पिण्डी खुदान व्यय रू0 3.81 प्रति पौध सम्मिलित है।
2–अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, उ0प्र0 कानपुर ने अपने पत्रांक– 754 / जी0ओ0, दिनांक 04–1–2016 में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में जो मजदूरी के दरों में वृद्धि की गयी है वह काफी कम होने के कारण पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–293 / 14–5– 2014–67 / 87–टीसी, दिनांक 16–6–2014 द्वारा क्लोनल पौध व हाईटेक पौधशाला में उगाई जाने वाली पौध की दर को यथावत रख जाना उचित होगा।

3438

APCCF(SF)

01 May

28/4/16

मो० : 9452

2– वृहद वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक पौध उठान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि किसानों की मांग के अनुसार ही विभिन्न प्रजातियों के पौधों का उगान किया जाये।

3– उपरोक्त विक्रय दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–153/दस–16, दिनांक 06–4–2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

संख्या–78(1)/14–5–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करने का कष्ट करें।
4– मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– महालेखाकार–।।, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– डायरेक्टर, डिफेन्स लैण्ड कन्टोंमेन्ट मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स, सेन्ट्रल कमाण्ड, कन्टोंमेन्ट, लखनऊ।
10– समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11– वित्त (ई–7) अनुभाग।
13– गार्ड फाइल/वन अनुभाग–5

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद ।
पत्रांक 5724/29–1 दिनांक, इलाहाबाद, मई 12 2016।

प्रतिलिपि–समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश से प्रेषित कि कृपया पौधशालाओं में पौधो का शासनादेश के अनुसार पौध विकी सुनिश्चित कराये तथा समस्त वन रक्षक, वन विद, उप वन रेंजर को उपरोक्त दरो से अवगत कराये। साथ ही साथ समस्त पौधशालाओं के बोर्डो पर पौध विकी की दरें अंकित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी फूलपुर एवं इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
इलाहाबाद।

श्यक